

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 1974/फाल्गुन 13, 1895

No. 98] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 1974/PHALGUNA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March 1974

S.O. 141(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assemblies of the States, specified in column 1 of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, the number of members specified against those States in column 2 of the said table for filling the seats of members of the Council of States retiring on the 2nd April, 1974, on the expiration of their term of office.

TABLE

Name of State	Number of members to be elected
I	2
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	2
3. Bihar	7
4. Himachal Pradesh	1
5. Karnataka	4
6. Kerala	3

1	2
7. Madhya Pradesh	5
8. Maharashtra	6
9. Nagaland	1
10. Rajasthan	4
11. Tamil Nadu	6
12. Tripura	1

[No. F.13(3)/74-Leg.II]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, स्थाय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1974

क(० अ० 141 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसार में, राष्ट्रपति निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, 2 अप्रैल, 1974 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त होने वाले राज्य सभा के सदस्यों के स्थानों हो भरने के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उन राज्यों के सामने जितने सदस्य विनिर्दिष्ट हैं, उन्ने सदस्यों को, उक्त अधिनियम और तद्बोधन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, निर्वाचित करने के लिए आहूत करते हैं।

सारणी

राज्यों के नाम	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
1 आन्ध्र प्रदेश	6
2 आसाम	2
3 बिहार	7
4 हिमाचल प्रदेश	1
5 कर्नाटक	4
6 केरल	3
7 मध्य प्रदेश	5
8 महाराष्ट्र	6
9 नागालैंड	1
10 राजस्थान	4
11 तमिल नाडु	6
12 त्रिपुरा	1

[सं. फा० 13 (3)/74-विधायी-II]

के० के० सुन्दरम्, सचिव।